संख्या-86/2019/2170 ई-2 तेरह-2019-90/2014

प्रेषक

आलोक कुमार द्विवेदी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,
बदायूँ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 20 नवम्बर, 2019

विषयः जनपद बदायूँ में एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उ.प्र., प्रयागराज को सम्बोधित एवं प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-583/जि.आ.अ./बदायूँ/बार अनुज्ञा/19-20/एफ.एल.-7, दिनांक 11.10.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 04.10.2019 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति एवं इसी सन्दर्भ में आबकारी आयुक्त, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-142/दस-लाइसेंस-09/एफ.एल.-7/एल.ए. होटल्स उझानी/बार अनु./बदायूँ, दिनांक 18.10.2019 में की गयी संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त **बदायूँ रोड, उझानी, बदायूँ स्थित मेसर्स एल.ए. होटल्स एण्ड रीट्रियेट्स प्रा.लि., दिनार रेस्टोरेन्ट** को एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उनके प्रतिष्ठान में आने वाले आगुन्तकों को वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा, पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा एवं अग्शिमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में होंगे। इकाई द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे, प्रवेश द्वार पर डी.एफ.एम.डी.(डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) एवं सुरक्षा कर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-86/2019/2170(1) ई-2 तेरह-2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उ.प्र., प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-जी-142/दस-लाइसेंस-09/एफ.एल.-7/एल.ए. होटल्स उझानी/बार अनु./बदायूँ, दिनांक 18.10.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in